(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पीपलू

अनीता कोली बनाम कौशल्या वगै0

किस्म मुकदमा–वाद बाबत् उद्घोषणा, तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 153 सन् 2025

2025/436

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हुक्म व कार्यवाही बदलाव के हुक्म की तारीख व कारण
24.09.25	पत्रावली रिपोर्ट होकर पेश हुई। अधिवक्ता वादीया उपस्थित। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर तलबी समन प्रतिवादीगण जरिये रजिस्टर्ड एडी0 जारी हो। पत्रावली दिनांक 24.10.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक	
24/10/25	पत्रावली पेश हुई। अभिवक्ता वादी/प्रतिवादी उपस्थित/पी.ओ. साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली नि आदेशिका अनुसार दिनांक 18/12/25 पेश हो। Ram	
20/11/25	प्रार्थना पत्र पत्रावली तलब कर बाद वादीया विड्रो किये जाने प्रस्तुत होने पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता प्रार्थी/वादीया ने प्रा.पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त उनवानी प्रकरण मे पक्षकारो के मध्य आपसी सहमति से समझौता हो गया है, अब वादीया उक्त वाद को आगे नही चलाना चाहती है। इसलिए उक्त वाद को इसी स्तर पर विड्रो किये जाने का आदेश प्रदान करे। पत्रावली का अवलोकन किया गया, प्रस्तुत प्रा.पत्र स्वीकार किया जाकर वाद वादीया विड्रो किया जाता है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो एवं नियमानुसार नम्बर से कम हो। उप खण्ड अधिकारी पीपलू (टोंक)	

Scanned with OKEN Scanner